भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-3351**
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

**पाठ्यक्रम संशोधन का औचित्य**

†3351. **श्रीमती प्रतिमा मण्डल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि व्यय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद के 6% लक्ष्य से काफी कम है, सरकार द्वारा सार्वजनिक शिक्षा में अल्प निवेश की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) पाठ्यक्रम संशोधनों, जिनमें अल्पसंख्यकों की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और योगदानों के कथित रूप से उन्मूलन हो जाने की सूचना है, के पीछे क्या औचित्य है और ये परिवर्तन शिक्षा में समावेशिता और विविधता के सिद्धांतों के साथ किस प्रकार संरेखित होते हैं; और
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध जैसे विवादों के मद्देनजर धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के साथ समझौता नहीं किया जाए?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का समर्थन किया गया है और इसे सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाने की परिकल्पना कि गई है। जहां तक शिक्षा मंत्रालय का संबंध है, बजट आवंटन में वृद्धि 93,224 करोड़ रुपये (2021-22) से बढ़कर 1,21,118 करोड़ रुपये (2024-25) हो गई है, जो लगभग 30% की वृद्धि है। अद्यतन "शिक्षा संबंधी बजटीय व्यय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक का विश्लेषण" के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर कुल व्यय (सभी केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित) 4.12% (वर्ष 2021-22 के लिए) हुआ है।

(ख) और (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और केन्द्र सरकार या बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित

विद्यालयों के अतिरिक्त, अन्य विद्यालय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस प्रकार, संबंधित राज्य सरकार उस राज्य में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए समुचित सरकार है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का पाठ्यपुस्तकों की सामग्री को युक्तिसंगत बनाने का कारण कोविड-19 महामारी की स्थिति थी, जिसमें स्कूल शिक्षा के सभी चरणों में छात्रों को ऑनलाइन और अन्य तरीकों से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। परिणामस्वरूप, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और समय की हानि हुई। विभिन्न हितधारकों द्वारा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यचर्या और विषय-वस्तु के भार से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। एनसीईआरटी द्वारा विषय-वस्तु को युक्तिसंगत बनाने के लिए बाह्य विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर मानदंडों को अंतिम रूप दिया गया था:

- एक ही कक्षा में अन्य विषय क्षेत्रों में शामिल की गई सदृश सामग्री की ओवरलैपिंग
- निम्न या उच्च कक्षा में एक ही विषय में एक ही तरह की सामग्री रखना
- कठिनाई स्तर
- ऐसी सामग्री, जो छात्रों को आसानी से उपलब्ध हो और जिसमें शिक्षकों के बहुत अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो और जिसे बच्चों द्वारा स्व-शिक्षण या सहपाठी-अधिगम के माध्यम से सीखा जा सके
- ऐसी सामग्री, जो वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक है।

विषय-वस्तु को युक्तिसंगत बनाते समय समावेशिता और विविधता सहित अधिगम परिणामों से समझौता नहीं किया गया।

भारत सरकार द्वारा लाई गई एनईपी 2020 के पृष्ठ सं 10 पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:- स्कूल शिक्षा प्रणाली का एक प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि बच्चे स्कूल में नामांकित हों और स्कूल जा रहे हों। सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहलों के माध्यम से, भारत ने प्रारंभिक शिक्षा में लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त करने की दिशा में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

इसमें आगे कहा गया है कि देश के सभी बच्चों के लिए पूर्व-विद्यालय से कक्षा 12 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा प्राप्त करने हेतु सार्वभौमिक पहुंच और अवसर सुनिश्चित करने के लिए संगठित राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा।

आरटीई नियम, 2010 के नियम 9(3) के अनुसार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के अध्यधीन नहीं हो।

*****